

सहकारिता विभाग

बैंक को किराये हेतु भवन की आवश्यकता

उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ को अपनी वर्तमान शाखा अलीगंज सी-46, सेक्टर-जी0, अलीगंज लखनऊ को उसी क्षेत्र में भूतल पर निर्मित 1000 वर्गफीट से 1500 वर्गफीट के मध्य, जिसमें पार्किंग, जनरेटर एवं भवन के ऊपर आरएफ टावर के स्थान की उपलब्धता के साथ परिसर की आवश्यकता है।

उक्त क्षेत्र के इच्छुक भवन स्वामी अपना प्रस्ताव सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 28.07.2023 तक मुख्य प्रबन्धक, अलीगंज शाखा, सी-46, सेक्टर-जी0, अलीगंज, लखनऊ को प्रेषित करें। विस्तृत जानकारी हमारी वेबसाइट www.upcbl.in पर उपलब्ध है।



“बैंक हेतु भवन/परिसर की आवश्यकता”

उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि�0, लखनऊ की अपनी वर्तमान शाखा अलीगंज सी-46, सेक्टर-जी0, अलीगंज लखनऊ, को उसी क्षेत्र के अन्यत्र भवन में स्थानान्तरित किया जाना है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में बैंक शाखा खोलने हेतु भवन/परिसर के लिए निम्नलिखित मानक अनिवार्य हैं :-

1. बैंक हेतु भवन/परिसर का कार्पेट एरिया 1000 वर्गफीट से 1500 वर्गफीट होना चाहिए।
2. बैंक हेतु भवन/परिसर भूतल पर होना चाहिए।
3. भवन/परिसर का कामर्शियल प्रयोग किये जाने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं भवन/परिसर का स्वामित्व प्रमाण-पत्र।
4. भवन/परिसर पर किसी भी प्रकार का वाद न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
5. भवन/परिसर हेतु वॉछित किराया प्रति वर्गफुट।
6. परिसर में 15 केवी0ए0 का बिजली कनेक्शन(केवल बैंक प्रयोग हेतु) व पानी की आपूर्ति, जनरेटर लगाने की व्यवस्था तथा बैंक की आवश्यकतानुसार अन्य आधारभूत सुविधायें होनी चाहिए।
7. भवन/परिसर की छत पर कनेक्टिविटी हेतु वी0सेट/आर0एफ0 लगाने के लिए स्थान तथा स्टाफ एवं ग्राहकों हेतु पार्किंग के लिए समुचित स्थान का होना आवश्यक है, जिसका कोई किराया अलग से देय नहीं होगा।
8. बैंक के पास बिना कोई कारण बताये सभी प्रस्तावों को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है और इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।
9. आवेदन पत्र के साथ किराये पर दिये जाने वाले भवन/परिसर का नवशा व लोकेशन प्लान, पूर्ण पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये।
10. निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
11. भवन स्वामी आवेदन पत्र में मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी का उल्लेख स्पष्ट रूप से करें।